डा.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
सेक्टर–11, जानकीपुरम् विस्तार योजना, लखनऊ–226031

पत्रांकः डा0ए0पी0जे0अ0क0प्रा0वि0 / कुस0 का0 / 2021 / 11154 दिनांकः 02 जुलाई, 2021

सेवा में,
निदेशक / प्राचार्य,
डा0ए0पी0जे0अ0क0 प्राविधिक विश्वविद्यालय से
सम्बद्ध संस्थान।

विषयः शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग के सम्बन्ध में की गयी लिखित शिकायत / प्रार्थना पत्र ऑनलाइन किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या:75706 / 16–3010(099 / 1 / 2021), दिनांक:01.07.2021 में निदेर्शित व्यवस्था का ससमय अनुपालन सुनिश्चित कराना अपेक्षित है। कृपया संलग्न पत्र में प्राविधानित व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाना है। अतः आपसे अपेक्षा है कि उत्तर प्रदेश प्रोहीबिशन ऑफ रैगिंग इन एजूकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट–2010 में प्राविधानित व्यवस्था के तहत रैगिंग के सम्बन्ध में शैक्षणिक संस्थान के निदेशक / प्रधानाचार्यों को प्रार्थना पत्र ऑन लॉइन दिए जाने की व्यवस्था अगले तीन दिन के अन्दर प्रारम्भ करते हुए अवगत् कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त

भवदीय

(नन्द लाल सिंह)
कुलसचिव

पृष्ठांकन सं0 व दिनांक–उपरोक्त

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1.विशेष सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग–1, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2.प्रो0 वन्दना सहगल, अध्यक्ष एन्टी रैगिंग सेल, डा.ए.पी.जे.अ.कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।
3.प्रभारी ई0आर0पी0, डा.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि शासन के उक्त पत्र की अपेक्षानुसार ऑन–लाइन मॉड्यूल तैयार कराना सुनिश्चित करें।
4.स्टाफ आफीसर, डा.ए.पी.जे.अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(नन्द लाल सिंह)
कुलसचिव

I/75706/2021

संख्या- 75706/16-3010(099)/1/2021

प्रेषक,

नगेन्द्र शर्मा,

विशेष सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1. कुलसचिव, मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, गोरखपुर।
2. कुलसचिव, हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर।
3. कुलसचिव, डा0 ए0 पी0 जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ
4. निदेशक, यू0 पी0 टी0 टी0 आई0, कानपुर।
5. निदेशक, के0 एन0 आई0 टी0, सुलतानपुर।
6. निदेशक, बी0 आई0 ई0 टी0, झांसी।
7. निदेशक, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज,आजमगढ़/अम्बेडकरनगर/मैनपुरी /सोनभद्र /बांदा/कन्नौज /बिजनौर।

प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ:दिनांक 01 ~~जून~~ जुलाई, 2021

विषय- शिक्षण संस्थाओं में रैगिंग के संबंध में की गयी लिखित शिकायत/प्रार्थना पत्र ऑनलाइन किए जाने के संबंध में।

महोदय,

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में दिनांक 18.06.2021 को मध्याह्न 12:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से संपन्न बैठक में निम्नवत निर्देश का दिनांक 10.07.2021 से पूर्व अनुपालन कराए जाने की अपेक्षा की गयी है-

" उत्तर प्रदेश प्रोहीबिशन ऑफ रैगिंग इन एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट-2010 में प्राविधानित व्यवस्था के तहत रैगिंग के संबंध में की गयी लिखित शिकायत/प्रार्थना पत्र को ऑनलाइन करना। "

2. उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश प्रोहीबिशन ऑफ रैगिंग इन एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट-2010 की धारा-4(1) में निम्न व्यवस्था का प्राविधान है-

" जब कभी कोई छात्र या यथास्थिति माता-पिता या अभिभावक या किसी शैक्षणिक संस्था का कोई अध यापक रैगिंग के संबंध में शैक्षणिक संस्था के प्रधान को लिखित रूप में शिकायत करे तो संबंधित शैक्षणिक संस्था का प्रधान शिकायत प्राप्त होने के सात दिन के भीतर शिकायत में उल्लिखित मामले की जांच करेगा और यदि प्रथम दृष्टया यह सत्य पाया जाता है तो ऐसे छात्र को निष्कासित कर देगा जो अपराध का अभियुक्त हो और ऐसे क्षेत्र, जिसमें शैक्षणिक संस्था स्थित हो, में अधिकारिता रखने वाले पुलिस थाने में शिकायत को अग्रतर कार्यवाही हेतु तत्काल भेज देगा।"

3. उपर्युक्त विषयक के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उत्तर प्रदेश प्रोहीबिशन ऑफ रैगिंग इन एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट-2010 में प्राविधानित व्यवस्था के तहत रैगिंग के संबंध में शैक्षणिक संस्थान के प्रधानाचार्यो को प्रार्थना-पत्र ऑन लाइन दिए जाने की व्यवस्था अगले तीन दिन के अन्दर प्रारम्भ करते हुए ,अवगत

I/75706/2021

कराने का कष्ट करें।

Signed by नागेन्द्र शर्मा
Date: 30-06-2021 17:32:35
Reason: Approved

ह0 अपठनीय
(नगेन्द्र शर्मा)
विशेष सचिव

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव-</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. कुलसचिव, डा0 ए0 पी0 जे0 अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वो विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी इंजीनियरिंग कॉलेजों के लिए उत्तर प्रदेश प्रोहीबिशन ऑफ रैगिंग इन एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट-2010 में प्राविधानित व्यवस्था के तहत रैगिंग के संबंध में शैक्षणिक संस्थान के प्रधान को लिखित रूप में की गयी शिकायत /प्रार्थना पत्र ऑनलाइन किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा उत्तर प्रदेश, कानपुर को इस आशय से प्रेषित कि वो डिप्लोमा से संबंधित सभी संस्थानों के लिए उत्तर प्रदेश प्रोहीबिशन ऑफ रैगिंग इन एजूकेशनल इंस्टीट्यूशन एक्ट-2010 में प्राविधानित व्यवस्था के तहत रैगिंग के संबंध में शैक्षणिक संस्थान के प्रधान को लिखित रूप में की गयी शिकायत /प्रार्थना पत्र ऑनलाइन किए जाने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही यथाशीघ्र सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

3. औद्योगिक विकास अनुभाग-6, उ0 प्र0 शासन को उनके अर्द्धशा0 पत्र संख्या-1599/77-6-21-एल.सी.-32/टी.सी.-4 दिनांक 09.06.2021 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

आज्ञा

से,

(नगेन्द्र शर्मा)
विशेष सचिव।